न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

A12

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 812/2016

1. जीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. साधुसिंह पुत्र गुरबख्स सिंह जाति जटसिख निवासी 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री गुरदाससिंह ढिल्लो अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत अधिवक्ता — अप्रार्थी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 30.11.2016

प्रार्थी द्वारा जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक एक जैड के खता संख्या 24/17, 61 मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 3/2 (किला नम्बर 3 का दक्षिणी भाग) तथा 8, 13, 18, 19, 21, 22, 23 में 1.897 हैक्टर खातेदारी दर्ज है।

इसी मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 1, 2, 3/1, 9, 10, 11, 12, 20 का 1.898 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 5 के साथ चक 1 वाई का मुरब्बा नम्बर 32 लगता हुआ है। तथा मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 21 ता 25 में से रास्ता स्वीकृत शुद्धा है।

प्रार्थी के रकबा मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 3/2 (किला नम्बर 3 का दक्षिणी भाग) मे आनें जानें के लिये अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 3/1 आधा बीघा (उत्तरी हिस्सा) के पश्चिमी भाग में रास्ता आधा बीघा में $16^{1}/_{2}$ गुणा $82^{1}/_{2}$ फुट में रास्ता मौके पर चल रहा है। मगर अब अप्रार्थी के मन में गलत लालच आ जानें के कारण रास्ता बन्द करना तथा आवागमन में बाधा पैदा करना चाहता है। अतः रास्ता स्वीकृत करना आवश्यक है। प्रार्थी के रकबा के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। तथा उपरोक्त प्रचिलत रास्ता ही सुविधाजनक नजदीकी तथ्झा स्वीकृत करवाना आवश्यक है। प्रार्थी इस रास्ता की भूमि के एवज में राशि डी.एल.सी. रेट के अनुसार देनें को तैयार है। जिससे की रास्ता स्वीकृत होकर रिकार्ड में दर्ज हो सके।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थी के रकबा चक 1 जैड के खाता संख्या 24/17, 61 मुरब्बा नम्बर 2 के 1.897 हैक्टर के लिये अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा खाता संख्या 78/55, 61 मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 3/1 अर्थात किला नम्बर 3 के उतरी भाग में से पश्चिमी हिस्सा में रास्ता प्रचलित $16^{1}/_{2}$ गुणा $82^{1}/_{2}$ फुट में स्वीकृत करनें का आदेश फरमाया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करनें का हुक्म फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 7245 दिनांक 19.09.2016 के द्वारा पटवारी रिपोर्ट को भिजवाया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वर्तमान में वादी के पास कोई सुविधाजनक रास्ते का विक्लप नहीं है, चाहे गये रास्ते पर प्रतिवादी नें घर की चार दिवारी का गेट, पानी की हौज, वादी की भूमि में प्रवेश से पूर्व तीन फीट की चार दिवारी बनाई हुई है। यदि चार दिवारी छोड़ते हुए किला नम्बर 2 में पश्चिम की और 165 फीट किला नम्बर 9 की उत्तरी सीमा पर लगभग 102.5 फीट रास्ता दिया जाता है, तो उसकी दूरी चाये गये रास्ता से 185 फीट ज्यादा पड़ती है।

इस मुरब्बा में स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है। इसी मुरब्बा के किला नम्बर 4, 5, 6 की नहर की सीमा में पक्की सड़क बनी हुई है। तथा इस मुरब्बा की मुरब्बा लाईन किला नम्बर 1 ता 5 के साथ साथ रास्ता चल रहा है।

दिनांक 30.11.2016 को प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान का पंचायत के मौतबिरान एवम् बिरादरी के मौजिज व्यक्तियों नें राजीनामा करवा दिया है। अतः राजीनामा को लोक अदालत की भावना से तस्दीक फरमाया जावे।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया कि साधुसिंह के द्वारा प्रार्थी जीतसिंह को अपनी चक 1 जैड तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 2 में उत्तर से दक्षिण की ओर किला नम्बर 2 में ही पश्चिम की ओर किला नम्बर 1 की किला लाईन से 65 फीट जगह को छोड़कर 14 गुणित 165 फीट एवम् आगे किला नम्बर 9 में किला लाईन 2 के साथ–साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ 14 गुणित 100 फीट रास्ता देनें हेतु सहमती बनी है। किला नम्बर 2 में पूर्व की तरफ 86 गुणित 165 फीट जगह जिसमें साधुसिह की ढ़ाणी बनी हुई है, वह किसी प्रकार से प्रभावित नहीं की गई है।

जीतसिंह इस 14 गुणित 165 फीट एवम् 10 गुणित 100 फीट रास्ते का मुआवजा स्वरूप साधुसिंह को अपनी खातेदारी कृषि भूमि स्थित चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 3 में 10 बिस्वा जमीन में से साधुसिह की इस किला नम्बर 3 मे विध्यमान निर्मित ढ़ाणी की दक्षिण दिशा वाली दिवार के साथ साथ 8 गुणित 165 फीट रकबा पूर्व से पश्चिम की और साधुसिह को देनें हेतु सहमत हुआ है। जीतसिंह नगद मुआवजा के रूप में साधुसिंह को कोई अदायगी नहीं करेगा यह जगह किला नम्बर 3 में उत्तर की और से 165 गुणित 82 फीट छः ईन्च जगह का छोड़कर पूर्व से पश्चिम 8 गुणित 165 फीट जगह होगी।

अतः उपरोक्तानुसार शीर्षक प्रकरण में प्रार्थी जीतसिंह का रास्ता मन्जुर कर दिया जावे एवम् अप्रार्थी साधुसिंह को जीतसिंह की खातेदारी भूमि में से 8 गुणित 165 फीट जगह राजस्व अभिलेख में साधुसिंह के नाम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 3

812/3

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया जिसको प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा दौराने बहस कथन किया की उभयपक्ष के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं है अतः राजीनामा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत कर अनुतोष प्रदान किया जावे।

विद्धान अधिवक्तागणों की बहस का मनन किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् राजीनामा का अवलोकन किये जानें पर रास्ता स्वीकृत करना न्यायोचित पाया गया।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 1 जैड तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 2 में उत्तर से दक्षिण की ओर किला नम्बर 2 में ही पश्चिम की ओर किला नम्बर 1 की किला लाईन से 65 फीट जगह को छोड़कर 14 गुणित 165 फीट एवम् आगे किला नम्बर 9 में किला लाईन 2 के साथ–साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ 14 गुणित 100 फीट रास्ता उभयपक्ष की सहमती के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

उक्त रास्ते की भूमि के मुआवजे के स्परूप उभयपक्ष की आपसी सहमती के आधार पर प्रार्थी जीतसिंह अपनी खातेदारी कृषि भूमि स्थित चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 3 में 10 बिस्वा जमीन में से साधुसिह की इस किला नम्बर 3 मे विध्यमान निर्मित ढ़ाणी की दक्षिण दिशा वाली दिवार के साथ साथ 8 गुणित 165 फीट रकबा पूर्व से पश्चिम की और साधुसिह को देगा जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। जीतसिंह द्वारा मुआवजा स्वरूप साधुसिह को कोई नगद भुगतान नहीं करेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार रास्ते की भूमि तथा रास्ते के मुआवजा स्वरूप में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को दी गई भूमि का राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.11.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर